



द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड
 द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, अतीत अक्वोइस्टर, अक्टूरी रोड, लखनऊ
 ईमेल: jkbank@jkbank.com

मोबाइल कार्डिनल: 09102 250000 (मिटर नं. 1) 091 248 1928 (ईमेल: info@jkbank.com)।
 टूरुमन: +91 (0) 194 248 1928-35 (मिटर नं. 2) 091 248 1928 (ईमेल: info@jkbank.com)।
 वेब: www.jkbank.net, ऑफिशियल: 1.651100K19K3SCG000048

कच्चा सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित

सरकारी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत सुचना

जबकि, वित्तीय आसियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (अपकेसी) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित के तहत एक मांग सूचना लिखि 08-06-2026 जारी की थी, जिसमें ऋणधारक मेसरस सीबीबी ट्रेडिंग कंपनी, मुनिट पता : न्यू सक्की मण्डी, भगमागुवा नगराज, बहराइच, उत्तर प्रदेश 271865, वसुली फाइनडर सामान्य पत्नी मोहम्मद जफर, निवासी ननपारा देवली, बहराइच, उत्तर प्रदेश 271865 (ऋणधारक सह बैंककर्ता) से उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर, ऋणधारक के खाते में लिखि 31-05-2026 तक शेष बकाया राशि **रु. 48,29,351.05 (रुपये चत्तरास लाख उन्तीस हजार तीन सौ इक्यानवन और पांच पैसे मात्र)** तथा राशि पर नवस्थ के ब्याज एवं अन्य प्रमारों का पुनर्मुतागत करने का आवाहन किया गया था।

उक्त ऋणधारक द्वारा उक्त राशि का पुनर्मुतागत करने में विफल रहने पर, एतद्वारा उक्त ऋणधारक को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को सामान्य रूप से सूचना दी जाती है कि जे एंड के बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के तहत अयोहस्ताक्षरी ने उक्त निगमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत मुझे प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 06 अक्टूबर 2026 को नीचे वर्णित बंधक संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

उक्त ऋणधारक को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति के साथ किसी भी प्रकार का लेन-देन न करें और उक्त संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन लिखि 01.10.2026 से पविष्य के ब्याज तथा उपगत (हूए) या उपगत होने वाले अन्य प्रमारों सहित कुल **रु. 50,84,801.05 (रुपये पचास लाख चौसीस हजार आठ सौ एक और पांच पैसे मात्र)** की राशि के लिए द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड के प्रमार के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को मोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अवश संपत्ति का विवरण	हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी ओमर फारूक
1. गाटा संख्या 192 निम, में स्थित भूमि, जिसका क्षेत्रफल 0.162-हेक्टेयर है, जो ग्राम बनकवा, ननपारा, तहसील ननपारा, जिला बहराइच में स्थित है, का साम्यावधिक बंधक, जिसकी स्वामिनी सामान्य पत्नी मोहम्मद जाफर, निवासी नई सक्की मंड़ी ननपारा, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश 271865 है।	
2 गाटा संख्या 192 निम, में स्थित भूमि (उत्तर पर निर्मित होने वाले मकान सहित), जिसका क्षेत्रफल 0.162-हेक्टेयर है, जो ग्राम बनकवा, ननपारा, तहसील ननपारा, जिला बहराइच में स्थित है, के साम्यावधिक बंधक पर प्रमार का विवरण, जिसकी स्वामिनी सामान्य पत्नी मोहम्मद जाफर, निवासी नई सक्की मंड़ी ननपारा, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश 271865 है।	

तिथि : 06-10-2026
स्थान : लखनऊ

प्रपत्र नं. 14

[निधिनम -33(2) देखें]

वसुली अधिकारी कार्यालय- I / II

ऋण वसुली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी-2)

चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

डिमांड नोटिस

ऋण वसुली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस।

RC/172/2026**28-09-2026**

पंजाब नेशनल बैंक

बनाम

श्री भुवन चंद्र मिश्रा

सेवा में,

(सीडी 1) श्री भुवन चंद्र मिश्रा, मकान संख्या-10, ब्लॉक-G, अशोक विहार, गुडगांव, हरियाणा – 122001, गुडगांव, हरियाणा-122001

(सीडी 2) श्री अरविंद कुमार सिंह, पुत्र श्री जगदीश नारायण सिंह, निवासी 2645, गली संख्या 7, बिहारी कॉलोनी, शाहदरा, दिल्ली – 110032

(सीडी 3) तुलसियानी कंठरूहंस एंड डेवलपर्स प्रा. लि. (बिल्डर) प्लॉट संख्या 3, ब्लॉक-N, ग्रीन पार्क (मैने), नई दिल्ली – 110016

इसके अलावा: 37, एलिंगम रोड, सिंगिल हाउस, इन्हाहाबाद, उ.प्र.-210001

इसके अलावा: टी C-34/V-2, साइबर टावर, प्रथम तल, विभूति खंड, गौमंतीनगर, लखनऊ, उ.प्र.-226010

यह स्थिति किया जाता है कि **पीठासीन अधिकारी,** ऋण वसुली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 2) द्वारा **OA/1353/2018** में पारित आदेशों के अनुसारण में जारी किए गए वसुली प्रमाण पत्र के अनुसार, **रु 89,18,418 (नवासी लाख अठारह हजार चार सौ अठारह रुपये मात्र)** की राशि, बकाया और पविष्य के ब्याज सहित **11/10/2018** से वसुली तल **@ 8.75 %** सामान्य साधारण ब्याज और **रुपये 92000 (नाने हजार रुपये मात्र)** की लागत आपके विरुद्ध (संगत रूप से और पु्यक रूप से / पुर्णतः / सीमित रूप से) देय हो गई है।

2. इस नोटिस के माध्यम से आपको नोटिस प्राप्त कि 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर बैंको एवं विधीय संस्थाओं को देय ऋण वसुली अधिनियम, 1993 और उसके अधीन नियमों के प्रावधानों के अनुसार वसुली की जाएगी।

3. आपको सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले एक हलनमामे पर अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करने का आदेश दिया जाता है।

4. आपको आदेश दिया जाता है कि दिनांक **06.11.2026 को प्रातः 10:30 बजे** अयोहस्ताक्षरी के समक्ष आम की कार्यवाही हेतु उपस्थित करें।

5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:

(क) इस तरह के ब्याज के रूप में प्रमाण पत्र / निगमादन कार्यवाही की इस सूचना के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय है।

(ख) इस नोटिस और वारंट और अन्य प्रक्रियाओं के देय राशि की वसुली के लिए की गई असा सभी प्रक्रियाओं की तामील के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क और ब्याज।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत दिनांक 28.09.2026 को दिया गया।

हस्ता /—

वसुली अधिकारी

ऋण वसुली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी-2)

जनाशा फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 1004, 10वां तल, अरुणमल बिल्डिंग, बाराबंसी रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली – 110001

कच्चा सूचना

जबकि, अयोहस्ताक्षरी ने, जनाशा फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आसियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का क्रमांक 3) के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदार (इसमें आगे कर्जदार और गारंटरों को "कर्जदार" कहा गया है) को मांग सूचना प्रत्येक खाते के सामने वर्णित लिखि को जारी की थी, जिसमें सूचना में वर्णित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

जबकि कर्जदार बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्वारा कर्जदार और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अयोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसको के सामने वर्णित लिखि को प्रयोग करते हुए ग्रहं नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा प्रत्येक खाते के सामने वर्णित लिखि को ले लिया है। कर्जदार /गारंटर को विशेष रूप से तथा जनासाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संयवहार नहीं करने हेतु साधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संयवहार जनाशा फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड की बकाया राशि तथा उस पर सेविदात्मक दर पर भावी ब्याज और अनुषंगी खर्चों, लागतों, प्रमारों इत्यादि के प्रमारोधान होगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रतिभूत आसियों छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) की ओर आवृष्ट किया जाता है।

क्र.सं.	खाता संख्या/कर्जदारों/ गारंटरों का नाम	मांग सूचना तिथि	बकाया राशि
	कच्चा की तिथि		
1.	ऋण खाता संख्या LKZ006166, सिधिन बंसल पुत्र : राजवीर सिंह, कुशम पत्नी : राजवीर सिंह, फतेहपुर रामपुर, पोस्ट माधवा, जिला : गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201310	28-03-2026 संकेतिक	रु. 21,68,164 / – 27-02-2026 तक + उस पर ब्याज

अचल संपत्ति का विवरण : खसत नंबर 62 का अंश रूप प्लॉट 75 वर्ग गज, जो मां रानी रामपुर एतद्वारा परामा अंश धारिनी वारसी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। (इसके साथ इसे उक्त संपत्ति कहा जाएगा)। संपत्ति की सीमाएं: पूर्व – प्लॉट डब्लू. पश्चिम – प्लॉट अजय गंगाजी, उत्तर – सरता 9 फीट चौड़ा, दक्षिण – सरकारी सड़क।

ऋण खाता संख्या LKZ005227, मोहम्मद गुरुकु पुर मोहम्मद अली (कर्जदार), शाहजान परवीन पत्नी सुख (सह-कर्जदार), निवासी 132, गौतम मेमरा, पोस्ट सिधिवरपुर, कानौई हाउड, हाउड, उत्तर प्रदेश 245101

अचल संपत्ति का विवरण : खसत नंबर 84, प्लॉट 1, भूखे क्षेत्रफल परिमाण 108 वर्ग गज 60.33 वर्ग मीटर खसत 84 में से, निकट जयम मंडी, गौतम पिकेसका (हनुम गार्डन कॉलोनी) आगगा, तहसील, धौलाना जिला हापुड, उत्तर प्रदेश में स्थित। संपत्ति की सीमाएं : पूर्व-रास्ता 15 फीट चौड़ा, पश्चिम-पुननी की संपत्ति, उत्तर-प्लॉट नंबर 1 का हिस्सा/अन्य संपत्ति, दक्षिण-रास्ता 15 फीट चौड़ा

ऋण खाता संख्या LKZ006519, श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल पुत्र श्री नमनवी लाल (कर्जदार), श्रीमती सुशीला अग्रवाल पत्नी श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल / पुत्री श्री मोहं (सह-कर्जदार), 631, नवनील विहार, खोजी कॉलोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201001। दोनों का अन्य पता : बाणिज्यिक दुकान नं. 1, मूल पर, खसरा नं. 75 का अंश, पवन विहार, गौतम बुद्ध परामा लोनी-तहसील और जिला, गाजियाबाद, (उप्र) में स्थित है।

अचल संपत्ति का विवरण : कमर्शियल शॉप नंबर 1, मू. तल, विना छत के अधिकार के, क्षेत्रफल परिमाण 18 वर्ग गज 14.04 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 75 का अंश, पवन विहार गौतम बुद्ध परामा लोनी तहसील और जिला, गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश) में स्थित है।। संपत्ति की सीमाएं: पूर्व- अन्य खाता का प्लॉट, पश्चिम- रास्ता 20 फीट चौड़ा, उत्तर-अन्य खाता का प्लॉट, दक्षिण-किरिज का खाता

ऋण खाता संख्या LKZ006868, श्री मकान पुत्र श्री चमल मनीष (कर्जदार), श्रीमती सीमा पत्नी श्री नाथिन, पुत्री श्री भी अग्रवाल (सह-कर्जदार), 135, मरिजद के पास, मोहल्ला नूनगज, मुरादनगर, पोस्ट: भुशद नगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201206

अचल संपत्ति का विवरण : नगर पालिका नंबर-26, क्षेत्रफल परिमाण 182 वर्ग गज, खसरा नंबर 1697 का अंश, मोहल्ला नूनगज, गुरगान, गाँव- सराना, मुराद नगर, परमना- जिलागाँव, मुरादगान, मोदी नगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है। संपत्ति की सीमाएं: पूर्व-मोदी हरमन का मकान, पश्चिम- रास्ता 15 फीट चौड़ा, उत्तर-मुलावी लतीफ का मकान, दक्षिण- संपत्ति का हिस्सा

ऋण खाता संख्या LKZ002688, श्री सहाजद पुत्र श्री कल्लू (कर्जदार), श्रीमती काशिका पत्नी श्री शरणा/पुत्री श्री कश्यम (सह-कर्जदार), मकान संख्या 469, कोटला भोवविहार, अली नगर, हापुड, जिला हापुड, उत्तर प्रदेश – 245101

अचल संपत्ति का विवरण : आवासीय पता, पालिका संख्या (पश्चिम)/डब्ल्यू-26/792, प्लॉट संख्या 6 का भाग और प्लॉट संख्या 7 का भाग, क्षेत्रफल परिमाण 18.875 वर्ग गज, प्लॉट संख्या 65, क्षेत्रफल परिमाण 60.865 वर्ग गज, कुल क्षेत्रफल परिमाण 79.46 वर्ग गज, खसरा संख्या 1261एफआई और 1262 का हिस्सा, मोहल्ला मदीनपुरा हापुड में स्थित, सीमा नगर पालिका, हापुड, परमना और तहसील और जिला हापुड, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। संपत्ति की सीमाएं कि विवरण : पूर्व- रास्ता 14 फीट चौड़ा और नृत्य की संपत्ति, पश्चिम- विज्ञाना का मकान और शक्ती की जमीन, उत्तर- मकान का भाग, दक्षिण- शेष का मकान

ऋण खाता संख्या LKZ005227, नूर कुश-बुर्, सरनी पत्नी: नूरे, निवासी साहंन नगर, ग्राम मुजफ्फिर, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250205

ऋण खाता संख्या LKZ005227, नूर कुश-बुर्, सरनी पत्नी: नूरे, निवासी साहंन नगर, ग्राम मुजफ्फिर, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250205

अचल संपत्ति का विवरण : प्लॉट क्षेत्रफल : 1038 वर्ग फीट प्लॉट पता का प्रकार : प्लॉट पत्र के आधार पर आयोजित मकान, प्लॉट सलेन नगर क्षेत्र गंगमनर प्लॉट मेरठ नगर, उत्तर प्रदेश – 250501। सीमाएं : पूर्व- 8 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम- पंचायत घर (आरिफ का मकान), उत्तर- कल्लू का मकान, दक्षिण- 9 फीट चौड़ी सड़क

दिनांक : 08-10-2026, प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : दिल्ली-एनसीआर

जनाशा फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड

Bank of India

Relationship beyond banking

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आसियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत

अचल सम्पत्तियों के विषय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल / अचल सम्पत्तियों जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित हैं, का कब्जा, बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार), के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जैसा है जहां है" "जैसा है वही है" "बिना किसी शर्तों के" और "जो है वहां है" के आधार पर दिनांक 27.10.2026 को प्रातः 11.00 बजे से अपरा. 05.00 बजे को बेचा जाएगा। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आसियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत **ई-नीलामी** द्वारा बेची जाने वाली संपत्तियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है-वसुली की जाने वाली राशि (प्रतिभूत ऋण) और कच्चे का विवरण भी नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

क्र.सं.	कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) का बंधककर्ता(ओं) का नाम	सम्पत्ति का विवरण	कुल देय	a) आरक्षित मूल्य b) ईएमपी c) बोली बुद्धि राशि	निरीक्षण की तिथि और समय	अधिकृत अधिकारी का नाम और मो. नं.
1.	उत्तारकर्ता: श्री सतबीर सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह श्रीसी अंमल जिला मिर्जाबी, हरियाणा-127021 गारंटर: श्री कुलवीर सिंह पुत्र चम सिंह श्रीसी अंमल देहली, जिला चरखी दादरी, हरियाणा-127308	काली माता मंदिर के पास बामला गांव के राजस्थ क्षेत्र में पेतुक संपत्ति पर निर्मित मकान, जिसका क्षेत्रफल 1 कनाल 17 मरला है, खेवट संख्या 117/113, खतोनी संख्या 159, मुसाकिल और किला संख्या 40/19/2(1-8), 20(8-0), 21(8-0), 41/16(7-6), 43/1(8-0), 10(5-2), 265(0-19), 266(0-18), 267(1-0) है। यह मकान मिर्जाबी जिले के बामला गांव में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 40 कनाल 13 मरला है। यह मकान पेतुक संपत्ति पर बना है और राजस्थ क्षेत्र में आता है। (सम्पत्ति सांकेतिक कच्चे के अंतर्गत)	रु. 53.10 लाख, + उस पर लगने वाला यूसीआई और अन्य शुल्क।	a) ₹ 48.98 लाख b) ₹ 4.898 लाख c) ₹ 50,000	17.10.2026 अर्पाई 02:00 बजे से अर्पाई 04:00 बजे तक	श्री रामपाल सिंह – 8461836131 पुत्रराज के लिए श्री हिमांशु बजाज से संपर्क करें 9810977755
2.	मैसर्स एम.आर.ओइरलीज मैसर्स एम.आर.ओइरलीज प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशक के माध्यम से, पंजीकृत कार्यालय- 204 सतन केमर, B-9, मॉडल टाउन – 11, उत्तर पश्चिम दिल्ली-110009 श्री रमेश कुमार अरोड़ा पुत्र स्वर्णीय श्री मूलच राज (गारंटर), मकान नंबर-87, डेरा इस्माइल खान कोऑर्परेटिव हाउसिंग सोसाइटी (डेरावाल नगर के नाम से प्रसिद्ध), नई दिल्ली-110009 श्री संजीव कुमार पुत्र स्वर्णीय श्री मूलच राज (गारंटर), M-1-A, ग्रीन एपेन्यू, अग्रतार, पंजाब – 143001 श्री नंद कुमार पुत्र स्वर्णीय श्री मूलच राज (गारंटर), JP-2, दूसरी मॉडल, मीर एक्वावे, पीएमपुरा, दिल्ली-110034 श्री रीत अरोड़ा पुत्र श्री रमेश कुमार (गारंटर), मकान नंबर 87, A-87, डेरा इस्माइल खान कोऑर्परेटिव हाउसिंग सोसाइटी (डेरावाल नगर के नाम से प्रसिद्ध), नई दिल्ली-110009 श्रीमती ममता अरोड़ा पत्नी श्री रमेश अरोड़ा (गारंटर), मकान नंबर 87, A-87, डेरा इस्माइल खान कोऑर्परेटिव हाउसिंग सोसाइटी (डेरावाल नगर के नाम से प्रसिद्ध), नई दिल्ली-110009 श्रीमती रंजना अरोड़ा पत्नी श्री नंद कुमार (गारंटर), JP-2, दूसरी मॉडल, मीर एक्वावे, पीएमपुरा, दिल्ली – 110034 श्रीमती मीनम अरोड़ा पत्नी संजीव कुमार (गारंटर), M-1-A, ग्रीन एपेन्यू, अग्रतार, पंजाब-143001	1. श्रीमती रंजना अरोड़ा के स्वामित्व वाली, 204, B/9, मॉडल टाउन, दिल्ली में स्थित आवासीय फ्लैट वाली संपत्ति का यह संपूर्ण भाग और हिस्सा, जिसका कुल क्षेत्रफल 36.79 वर्ग मीटर है। (सम्पत्ति का सांकेतिक कच्चा बैंक के पास है।)	रु. 60,56,70,211.40 28.07.2025 तक, साथ ही आगे का ब्याज और लागत, संबंधित खर्च आदि।	a. ₹ 99.00 लाख b. ₹ 9.90 लाख c. ₹ 1.0 लाख	19.10.2026 पूर्व नियुक्ति के साथ	श्री रामपाल सिंह - 8461836131 पुत्रराज के लिए श्री हिमांशु बजाज से संपर्क करें 9810977755
3.	मैसर्स रिजल डेव्ल्यू फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (रजिस्टर्ड गारंटर), अपने निदेशक के माध्यम से, पंजीकृत कार्यालय- B-9, दूसरी मॉडल, मॉडल टाउन – 11, दिल्ली – 110009	1. श्री रमेश कुमार अरोड़ा, डेरा इस्माइल खान कोऑर्परेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी (डेरावाल नगर के नाम से प्रसिद्ध), दिल्ली के A-87 में स्थित संपूर्ण बेसमेंट और भूतल वाली संपत्ति का यह संपूर्ण भाग और हिस्सा, जिसका कुल क्षेत्रफल 157.44 वर्ग मीटर है। (सम्पत्ति का सांकेतिक कच्चा बैंक के पास है।)	रु. 46.28 लाख, + उस पर लगने वाला यूसीआई और अन्य शुल्क।	a) ₹ 68.75 लाख b) ₹ 6.875 लाख c) ₹ 50,000	19-10-2026 पूर्व नियुक्ति के साथ	श्री रामपाल सिंह - 8461836131 पुत्रराज के लिए श्री हिमांशु बजाज से संपर्क करें 9810977755
4.	उत्तारकर्ता: सुशी मोहंमदी प्रकवाटी पुत्री शतेश मकान नंबर 601, दुधवा बाटिका मनी नंबर 1 के पास आवर्धन नगर बल्लभगढ़ हरियाणा-121004 गारंटर: श्री देवराज पुत्र सरपालत मकान नंबर 98 निकट लाल कोठी सुभाष कोलोनी बल्लभगढ़ हरियाणा-121004	आदर्श नगर, मीजा ऊंचा गांव, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद में स्थित खेवट/ खाता संख्या 866/1206, रेंट संख्या 40, किला संख्या 12मिन(5-7) के अंतर्गत आने वाले प्लॉट संख्या 1, जिसका क्षेत्रफल 166 वर्ग गज (25X60) है. संपत्ति का यह समस्त भाग। उत्तर दिशा में: अन्य संपत्ति, पूर्व दिशा में: श्री देवराज (गारंटर) की संपत्ति, पश्चिम दिशा में: प्लॉट संख्या 2	रु. 37.50 लाख, + उस पर लगने वाला यूसीआई और अन्य शुल्क।	a) ₹ 41.65 लाख b) ₹ 4.165 लाख c) ₹ 50,000	16-10-2026 पूर्व नियुक्ति के साथ	श्री रामपाल सिंह - 8461836131 पुत्रराज के लिए श्री हिमांशु बजाज से संपर्क करें 9810977755

- नीलामी बिक्री / बोली केवल <https://baanknet.com> वेबसाइट के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" प्रक्रिया के माध्यम से होगी।
- इच्छुक बोलीदाताओं को <https://baanknet.com> पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और केवाईडी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और सेवा प्रदाता द्वारा केवाईडी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, ईएमपी को एनईएफटी/आरटीएसए/ट्रांसफर/बालान फॉर्म जनरेट करने के माध्यम से बैंकनेट ईएमपी वॉलेट में जमा करना होगा (<https://baanknet.com>)
- नीलामी की तिथि और समय: 27.10.2026 सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक, प्रत्येक 05 मिनट के असीमित ऑटो-एक्सटेंशन के साथ।
- ई-नीलामी आरक्षित मूल्य और सर उल्लिखित प्रथम बुद्धिपरि मूल्य पर शुरू होगी। बोलीदाताओं को सभी संपत्तियों के लिए उपरोक्त तालिका में उल्लिखित गुणकों में एक साथ अपने प्रस्तावों में सुधार करना होगा।
- उपरोक्त/बोलीदाताओं को ई-नीलामी में सुचारु भागीदारी के लिए 27.10.2026 को प्रातः 11:00 बजे से पहले <https://baanknet.com> पर आवश्यक दस्तावेजों / विवरणों के साथ **BAANKNET EMD** वॉलेट में आरक्षित मूल्य का 10% अर्थात् अंतिम राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी।
- उपस्थान /फलस बोलीदाता को ऋत राशि का 25% (पहले से तुरताना की गई अंतिम राशि सहित अर्थात् बोली राशि का 10%) प्रविष्टि अधिकारी द्वारा बिक्री के संबंध में बोली संपादन करने के बाद बिक्री की बुद्धि के तुरंत बाद लेकिन अगले कार्य दिवस (बैंकिंग समय के दौरान) से अधिक देर नहीं जमा करना होगा, अन्यथा अंतिम राशि जमा कर ली जाएगी।
- क्या राशि का शेष 75% प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की बुद्धि के 15वें दिन (बैंकिंग समय के दौरान) या उससे पहले या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित रूप में सहमत किसी विस्तारित अवधि में और केवल उसके विवेक पर देय होगा।। निष्पत्ति अवधि के भीतर शेष राशि जमा न करने की स्थिति में, जमा की गई राशि जमा कर ले ली जाएगी और प्राधिकृत अधिकारी / बैंक नीलामी पर करके नई नीलामी आयोजित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- संपूर्ण बिक्री मूल्य जमा होने पर, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसके बाद बिक्री पूर्ण मानी जाएगी और बैंक किसी भी दाये पर विचार नहीं करेगा।
- प्राधिकृत अधिकारी किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि वह स्वीकार्य न हो, या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी की शर्तों के स्थापित /रु./स्थगित /बंद या परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।
- बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया लिंक देखें – <https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3>
- यह प्रकाशन उपरोक्त उधारकर्ता/गारंटर/बंधकदाताओं को 15 दिन पहले की सूचना है।
- इस सूचना के अंग्रेजी संस्करण और किसी अन्य स्थानीय भाषा संस्करण के बीच विरंगति होने की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

दिनांक 08.10.2026, स्थान : नई दिल्ली



यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
 भारत सरकार का उपक्रम
 A Government of India undertaking

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
 क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ, सरकारी इंटर कॉलेज के सामने, बेगम ब्रिज रोड मेरठ 250 001 (उ.प्र.)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के पर्वतक के साथ पठित वित्तीय आसियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आसियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्री सूचना

एतद्वारा जन सामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रें) और जमानतो(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक/रचनात्मक कच्चा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ (प्रतिभूत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया था, नीचे वर्णित कर्जदार(रें) तथा जमानतो(यों) से यूनियन बैंक के निम्नलिखित बकायों की वसुली के लिए उसको बिक्री "जहां है जैसा है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ है वही है" आधार पर (परिसंपत्ति-वार दिनांक और समय तथा अन्य विवरण नीचे दिए गए हैं) को जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि भी नीचे उल्लिखित है :

क्र.सं.	शाखा का नाम एवं पता	कर्जदार तथा जमानतियों का नाम एवं पता
1	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पिलखुवा शाखा, एमएच 24, हापुड, उत्तर प्रदेश मोबाइल: 9818529521	कर्जदार: मैसर्स करुण कलेक्शन प्रां.प. सतपाल पुत्र राजपाल, पता: मकान नंबर 338, शिवाजी नगर, पिलखुवा, हापुड, उ.प्र.-494, खसरा नंबर 1634/2, मोहल्ला शिवावा तहसील धौलाना, कस्बा पिलखुवा, जिला हापुड, उ.प्र.-245304, पता: नगरपालिका मोहल्ला शिवाजी नगर, पुनिया के पास देहपे, जिला हापुड, उ.प्र.-245304, गारंटर: - संता पत्नी राजपाल, पता: मकान नंबर हापुड, उ.प्र.-245304
2	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मेरठ बेगम ब्रिज शाखा (0855) 786, बेगम ब्रिज रोड, मेरठ, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश- 250002 मोबाइल: 70425885454	कर्जदार: • मैसर्स चैंपियन प्लस एग्री फूड्स 1883, मोदी पार्क के पास, बनवारी वाटिका, फैक्टरी-268ए, ग्राम पांचवी खुर्द, मेरठ। डू श्री निशान्त गर्ग (पुत्र) पुत्र सारिफगंज बिल्डिंग गुला कालोनी अग्रसेन पार्क, टी.पी नं गारंटर: श्री प्रवीण गर्ग पुत्र राजेंद्र प्रसाद गर्ग, टी.पी नं